



प्रिलमिस फैक्ट्स: 26- 07- 2019

- [सकियूरटीपीडिया और CISF Tube](#)
- [कारगलि वजिय दविस](#)
- ['ट्रांस फ़ैट फ्री' लोगो](#)

सकियूरटीपीडिया और CISF Tube

Securitypedia And CISF Tube

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force- CISF) ने **सकियूरटीपीडिया** (Securitypedia) नामक एक ऑनलाइन विश्वकोश (Encyclopedia) की शुरुआत की है।

- CISF ने अपने कर्मचारियों के लिए **CISFTube** नामक अनुकूलित **वीडियो इंटरफ़ेस** भी लॉन्च किया है।
- इसका उद्देश्य सगिल बटन क्लिक करके CISF के कर्मचारियों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं उन्हें सशक्त बनाना है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

Central Industrial Security Force- CISF

- CISF (Central Industrial Security Force) एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसे 'केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968' के तहत गठित किया गया था।
- यह **केंद्रीय गृह मंत्रालय** के अधीन आता है।
- CISF पूरे भारत में स्थिति औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुवधाओं तथा परतषिठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों और रफ़ाइनरियों, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का ज़िम्मा CISF ही उठाता है।

भारत में अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों में केंद्रीय रज़िर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF), सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force-BSF), भारत-तबिबत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police-ITBP), सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal-SSB) शामिल हैं।

कारगलि वजिय दविस

Kargil Vijay Diwas

26 जुलाई, 1999 को कारगलि युद्ध (Kargil War) में वजिय हासिल करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष **कारगलि वजिय दविस (Kargil Vijay Diwas)** मनाया जाता है।

- इस वर्ष कारगलि वजिय दविस की **20वीं वर्षगाँठ** मनाई जा रही है जिसकी थीम '**रमिंबर, रजिॉइस एंड रनियू' (Remember, Rejoice and Renew)** है।
- कारगलि युद्ध को **ऑपरेशन वजिय** के नाम से भी जाना जाता है।
- भारत और पाकस्तान के बीच **मई से जुलाई 1999** के बीच कश्मीर के कारगलि क्षेत्र में हुए सशस्त्र संघर्ष को ही **कारगलि युद्ध (Kargil War)** कहा जाता है। यह लगभग 60 दिनों तक चला तथा **26 जुलाई, 1999** को समाप्त हुआ था।
- इस युद्ध को जीतने के लिये भारतीय सेना ने दुरगम बाधाओं, दुश्मन के इलाकों, विपरीत मौसम एवं अन्य कठिनाइयों को पार करते हुए वजिय प्राप्त की थी।

- इस युद्ध में भारतीय सेना के बहुत से जवान शहीद और घायल हुए। सेना के अदम्य साहस एवं बलदान के सम्मान में यह दविस मनाया जाता है।

‘ट्रांस फ़ैट फ्री’ लोगो

‘Trans Fat Free’ Logo

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अधिसूचि मानदंडों के अंतर्गत पैकेज्ड फूड कंपनियों को अब उनके आउटलेट तथा उत्पादों पर ‘ट्रांस फ़ैट फ्री’ लोगो का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

- उल्लेखनीय है कि FSSAI ने बेकरी, मठिई की दुकानों, रेस्तरां को पहले से ही ‘ट्रांस फ़ैट फ्री’ लोगो जारी करने की अनुमति दी हुई है।
- FSSAI ने बेकरी, मठिई की दुकानों और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों/प्रतष्ठिठानों को खाद्य पदार्थों में ट्रांस फ़ैट सामग्री को कम करने हेतु स्वस्थ वसा या तेल का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहति कथिा है।
- FSSAI के नए मानदंडों के अनुसार, ‘ट्रांस फ़ैट फ्री’ लोगो लगाने की अनुमति केवल उन्हीं को दी जा सकती है, जिनके उत्पादों में प्रतठि 100 ग्राम या भोजन के 100 मिलीलीटर में ट्रांस फ़ैट की मात्रा **0.2 ग्राम से कम** है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI

- इसकी स्थापना **खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के तहत की गई है जो उन वभिन्नि अधिनियमों एवं आदेशों को समेकति करता है जसिने अब तक वभिन्नि मंत्रालयों तथा वभिगों में खाद्य संबंधी वषियों का नपिटान कथिा है।
- FSSAI की स्थापना खाद्य वस्तुओं के लिये वजिज्ञान आधारति मानकों का नरिधारण करने और मानव उपभोग के लिये सुरक्षति और पौष्टिकि आहार की उपलब्धता सुनशिचति करने हेतु उनके वनरिमाण, भंडारण, वतिरण, बकिरी तथा आयात को वनियमति करने के लिये की गई है।
- FSSAI के कार्यानवयन के लिये **स्वास्थ्य एवं परवार कल्याण मंत्रालय** प्रशासनकि मंत्रालय है।

ट्रांस फ़ैट

Trans Fat

- तरल वनस्पति तैलों को अधिकि ठोस रूप में परविरतति करने तथा खाद्य के भंडारण एवं उपयोग अवधि (Shelf Life) में वृद्धि करने के लिये इन तैलों का हाइड्रोजनीकरण कथिा जाता है, इस प्रकार संतृप्त वसा या ट्रांस फ़ैट का नरिमाण होता है।
- ट्रांस फ़ैट बड़े पैमाने पर वनस्पति, नकली या कृत्रमि मक्खन (Margarine), वभिन्नि बेकरी उत्पादों में मौजूद होते हैं तथा ये तले हुए या पके हुए खाद्य पदार्थों में भी पाए जा सकते हैं।
- FSSAI 2022 तक चरणबद्ध तरीके से औद्योगिकि रूप से उत्पादति ट्रांस फ़ैटी एसडि को 2% से कम करने के लिये प्रतबिद्ध है।
- वैश्वकि स्तर पर ट्रांस फ़ैट के सेवन से हर साल 500,000 से अधिकि लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों (Cardiovascular Disease) के कारण होती है।